"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी, 2003—पौष 13, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-02-28/2002/1-8.—श्री के. सी. राठौर, स्टॉफ आफिसर, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें कृषि विभाग में पदस्थ किया जाता है.

2. श्री आर. के. चौकसे, स्टॉफ आफिसर जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं, की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें ऊर्जा विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2300/3295/2002/1-8/स्था.—श्री पी. सी. सूर्य, उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-12-2002 से 20-12-2002 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सूर्य को पुनः सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री सूर्य को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सूर्य यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-02-26/2002/1-8.—श्री एल. पी. दाण्डे, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा विभाग में पदस्थ किया जाता है.

2. छत्तीसगढ़ मंत्रालय के निम्नलिखित निज सचिवों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्टाफ आफिसर, के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200 में तदर्थ रूप से पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें जहां वे वर्तमान में पदस्थ हैं, वहीं पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)
1.	श्री विजय कुमार सिंह, निज सचिव, मुख्य सचिव.
2.	श्री एन. डी. कुन्दानी, निज सचिव, प्रमुख सचिव, उद्योग तथा खनिज साधन विभाग.
3.	श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, निज सचिव, सचिव नगरीय विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग.
4.	श्री एम. एल. ताम्रकार, निज सचिव, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
5.	श्री बी. एल. पवार, निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों पर तदर्थ पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

4. तदर्थ पदोन्नति के आधार पर तदर्थ पदोन्नत कर्मचारी अपने संवर्ग में वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा, संवर्ग में वरिष्ठता नियमित पदोन्नति के आधार पर होगी.

5. तदर्थ पदोन्नत किए गए उपरोक्त कर्मचारियों से वरिष्ठ ऐसे कर्मचारी जिनके प्रकरण गोपनीय प्रतिवेदनों के अभाव में परिभ्रमण में रखे गये हैं. यदि उन्हें भविष्य में पदोन्नत किया जाता है तथा ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी जिनके विरुद्ध जांच लंबित होने के फलस्वरूप समिति की अनुशंसा बन्द लिफाफे में रखी गई है, उनके बंद लिफाफे खुलने एवं उनके पदोन्नति के योग्य पाये जाने की स्थिति में, नियमानुसार कनिष्ठतम कर्मचारी को उसके मूल पद पर पदावनत किया जा सकेगा.

6. राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आबंटित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के कारण पद उपलब्ध न होने पर अंतिम पदोन्नत कनिष्ठ व्यक्ति पदावनत होंगे.

7. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नतियों का नियमितिकरण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2001/3/एक, दिनांक 1-1-2002 में निहित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3050/2605/साप्रवि/02/1/2.—डॉ. आलोक शुक्ला सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक

23-12-2002 से 28-12-2002 (6) दिवस तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 21, 22-12-2002 एवं 29-12-2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव को अवकाश से लौटने पर पुनः सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. डॉ. शुक्ला को अवकाश काल में वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ 5-15/2001/खाद्य/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की अनुशंसानुसार श्री पी. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

ं एफ 5-15/2001/खाद्य/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक ्नांक 19 दिसम्बर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th December 2002

No. F 5-15/Food/2001/29.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1-A) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh hereby appoints Shri P. K. Shrivastava, Additional District & Sessions Judge, Bilaspur as President of District Consumer Forum Bilaspur on deputation from the date of joining.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

क्रमांक 9-109/2002/दो-गृह-वि.प./2002.—छत्तीसगढ़ के उन अधिकारियों को (जिनके लिये उनके विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हों) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 27 जनवरी 2003 से एक फरवरी 2003 तक रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार दिनांक 27 जनवरी 2003

क्र. (1)	प्रश्न-पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न-पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियम की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्न-पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
6.	दूसरा प्रश्न-पत्र-दाण्डिक विधितथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	
7.	दूसरा प्रश्न-पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
	मंगलवार दिनाक 28 जनवरी 2003.	
9.	पहला प्रश्न-पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न-पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए भू-राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी.	
11.	पहला प्रश्न-पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भू-अभिलेख राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-सी.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न-पत्र खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम-प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
15.	दूसरा प्रश्न-पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकों आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न-पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सरकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया द्वितीय प्रश्न-पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	
	बुधवार दिनांक 29 जनवरी 2003	
20.	तीसरा प्रश्न-पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग, विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
22.	प्रश्न-पत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
23.	पहला प्रश्न-पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की ''व्यवहारिक परीक्षा''.	
63	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की ''पुलिस शाखा'' प्रश्न-पत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्न-पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न-पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
31.	चौथा प्रश्न-पत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि/सु) के लिये.	
	गुरुवार, दिनांक 30 जनवरी 2003	
33.	प्रथम प्रश्न-पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
34.	प्रश्न-पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रथम प्रश्न-पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न-पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जन संपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
42.	द्वितीय प्रश्न-पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न-पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित)आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न-पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2003	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न-पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से 11.00 बजे तक
46.	प्रथम प्रश्न-पत्र-लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न-पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
48.	प्रथम प्रश्न-पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न-पत्र-द्वितीय-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
50.	द्वितीय प्रश्न-पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65	पंचायत राज्य प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक, भू-अभिलेख,सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये.	

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न-पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
52.	प्रश्न-पत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की "व्यवहारिक परीक्षा" (पुस्तकों सहित)1	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
54.	तृतीय प्रश्न-पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न-पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के)कृषि वन कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न-पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न-पत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 1 फरवरी, 2003	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-54/98/दो-ए 3 दिनांक 19-3-99 एवं एफ 3/120/90/दो-ए 3 दिनांक 8-5-91 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न-पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जायेगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लाना होगा.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-2/ह. आ. से दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती. अतः ये परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ वे प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर (सूची में दर्शाये अनुसार) को दिनांक 26 दिसंबर 2002 तक भेजेगें. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3601/F/73/140/HE/02.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "सृष्टि यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "सृष्टि यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 16th December 2002

No. 3601/F /73/140/HE/02.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh. Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002 (No. 2 of 2002) for extention of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Shrishti University, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "Shrishti University, Raipur" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3598/F-44/90/HE/2002.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "नेता जी सुभाष चन्द्र बोस कम्प्यूटर ग्रामीण विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "नेता जी सुभाष चन्द्र बोस कम्प्यूटर ग्रामीण विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक हैं, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 16th December 2002

No. 3598/F-44/90/H./2002.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extention of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Netaji Subhash Chandra Bose Computer Gramin Vishwavidhyalaya, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur.

2. The State Government, hereby, authorises "Netaji Subhash Chandra Bose Computer Gramin Vishwavidyalaya, Raipur" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-1-स.क.वि.-26-02-83/1482.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन अधिसूचित नियम के नियम 3 में किशोर न्याय बोर्ड के गठन हेतु महानगर मजिस्ट्रेड/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार जिलों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति कर किशोर न्याय बोर्ड का गठनक रता है :—

1.	रायपुर	1.	श्रीमती छाया वर्मा
		2.	श्री अरूणा भद्रा

2.	बिलासपुर	1.	श्रीमती कमला चित्तवार
		2.	डॉ. बसंत पहरे
3.	राजनांदगांव	1.	श्रीमती रत्ना ओस्तवाल
		2.	श्री अब्दुला युसूफ
4.	बस्तर	1.	श्रीमती प्रमिला कपूर
		2.	श्री भजन सिंह डांज
5.	रायगढ़	1.	श्री बंशीधर पंडा
		2.	श्रीमती मेघा देवी
6.	दुर्ग	1.	श्री अनिल कुमार कांबले
		2.	श्रीमती ओम टंडन

बोर्ड की काल अवधि अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की होगी और सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड की काल अवधि के साथ समाप्त हो जाएगी. बोर्ड का सदस्य रहते हुए सामाजिक कार्यकर्त्ता अधिकतम दो काल अवधियों के लिए ही नियुक्ति का पात्र होगा.

यह बोर्ड संप्रेषण गृह के परिसर में अपनी बैठकें करेगा. सदस्य अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) में उपबंधित रूप से लिखित में 1 मास का अग्रिम नोटिस देकर किसी समय पद त्याग सकेगा या उसे पद से हटाया जा सकेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2002

क्रमांक 225/152/ऊर्जा/2002.—राज्य शासन ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 1055/152/ऊर्जा/2000 दिनांक 20-3-2002 जिसके द्वारा श्री बी. एस. बनाफर को आगामी आदेश तक सदस्य (उत्पादन परियोजना) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल नियुक्त किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए "आगामी आदेश" के स्थान पर "दिनांक 30-4-2005" पढ़ा जाय.

2. उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2002-2003—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	अमलीभौना प. ह. नं. 11	8.267	आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़.	ट्रांसपोर्ट नगर के स्थापना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	हल्दीमुण्डा	8.868	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवर, सीरी व्यपवर्तन योजना के बायीं मुख्य नहर के चयन क्र. 309 से 397 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	हल्दीमुण्डा	1.625	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवर, सीरी व्यपवर्तन योजना के हल्दीमुण्डा शाखा नहर चैन क्र. 1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	रानीकोम्बो	3.766	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जशपुर.	चिरईडांड़-बगीचा मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 726/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रेड़ा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.607 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
846/1	0.081
846/2	0.142
846/3	0.121
847	0.129
860/1	0.057
859/10	0.061
859/11	0.053
859/1, 858/1	0.049
858/2, 858/3, 858/4, 858/5	0.361
854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5	0.121
855/1, 855/2, 855/3	0.129
908	0.113
914/1	0.150
914/2	0.040
योग	1.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसापाली माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 727/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.976 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
167	0.061
166	0.089
164	0.129
162	0.081
161	0.081
234	0.121

(1)	(2)
235	0.137
232	0.089
230	0.057
229	0.150
227	0.129
226	0.120
224	0.125
208	0.240
211/1	0.170
206/1 ख	0.206
205/2	0.004
205/3	0.142
506	0.227
508/1	0.065
507/1-2	0.120
503	0.032
502/1	0.040
502/2	0.045
502/3	0.061
502/4	0.008
500	0.227
501	
205/1	0.020
योग	2.976

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुरेराडीह माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 728/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.746 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
398/1	0.010
398/2	0.016
399	0.178
400	0.251
401/1, 2	0.117
1724/1	0.154
1724/2	0.085
1725/2	0.069
1725/3	0.121
1726/3	0.077
1723	0.146
1733	0.045
1745/2, 6	0.701
1745/5	0.202
1745/1	0.040
1745/3	0.117
1747	0.081
1744/1	0.348
1744/2	
1744/3	
1750	0.368
1751/1	0.004
1753	0.101
1754	0.053
1755	0.040
1756	0.045
1758	0.311
1763	0.183
1762	0.315
1761	0.004
1793	0.466
1886/3	0.174

(1)	(2)
1682 1683	0.194
1681/2	0.202
1680/2	0.012
1676	0.032
1675	0.214
1671	0.105
1670	0.065
1897/1 1897/2	0.478
1896	0.178
1898	0.321
1899	0.061
1916	0.324
1903	0.373
1901/2, 4	0.101
1901/3	0.061
1614/1	0.077
1614/2	0.061
1612	0.053
1901/5	0.012
योग 49	7.746

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 729/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.510 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
79/2	0.008
66	0.490
67	0.065
68 69/1	0.016
69/2	0.142
71	0.053
47/2	0.020
72/1 72/2	0.154
73	0.173
44	0.304
42/1 ज	0.194
42/1 घ	0.050
42/2 घ	0.061
42/1 क	0.185
43/1	0.060
164/3	0.193
164/4	0.206
347/1	0.077
347/2	0.101
359/1	0.004
361	0.312
360	0.004
344/1 362/2	0.133
363 364	0.045
367	0.089
368/1, 3	0.097
473/3	0.185
473/2	0.024

(1)	(2)
477	0.032
476	0.049
475	0.109
473/1	0.065
474	0.223
482	0.077
484	0.020
470	0.113
485	0.162
469	0.073
488	0.020
493/1	0.085
487	0.040
663	0.040
653	0.400
652	0.190
654	0.247
651/2	0.053
651/1, 3	0.227
629/2	
629/1	0.057
630/1	0.138
631/1	0.170
633	0.125
631/2	0.045
631/3	0.069
634	0.235
637/1	0.004
796/1	0.040
800	0.089
798/2	0.061
802	0.455
803/4	0.202
801	0.150
798/1	
798/3	
योग 61	7.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंचाई वितरक

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 730/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.286 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.278
17	0.135
28	0.380
150	0.514
158/1	0.065
158/4	0.093
167	0.360
168	
169	
159	0.040
161/3	0.055
138/1	0.120
139	
138/2	0.089
137/2	0.040
137/1	0.061
133	0.115
135	0.215
200	0.117
292/3	0.020
294	0.170
295	0.081
300	0.170
297/1	0.004
301	0.036

(1)	(2)
302	0.109
299	0.020
323/1	0.207
322/1	0.162
317/1	0.510
317/2	0.120
योग 28	4.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 नवम्बर 2002

क्रमांक 731/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-माल खरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सेरो, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.707 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
65/4	0.028
65/5	0.129
65/6	0.016
66	0.170
70/1	0.008
70/2	0.004
68/1	0.028
286	0.170
283/1	0.085
283/2	0.016
284/1	0.040
284/2	0.012
282	0.109
281/2	0.012
277/1	0.150
265/1	0.198
265/2	
265/3	
266/1	0.154
267	
268/1	
266/3	0.045
266/2	0.117
268/2	
272	0.093
270	0.125
271	
254	0.182
253	0.024
255	0.129
243/2	
174	0.045
175	0.069
176	0.138
173	0.291
172	0.060
171	0.101
177/3	0.079
170	0.036
179/1	0.304
164	0.028
179/2	0.028
180	0.536
159/4	0.085
181/2	0.045
181/5	0.081
181/4	0.194
181/3	

(1)	(2)
185	0.049
184/1 184/2	0.020
182	0.129
183	0.433
194	0.504
359	0.384
668	0.024
योग 47	5.707

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 नवम्बर 2002

क्रमांक 732/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.440 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
503/1	0.020
503/2	0.190
501/7	0.121
501/8	0.028
501/10	0.137
501/19	0.032
510/2	0.016
510/3	0.024
471/3	0.174
355/2	0.065
355/3	0.032
355/1 353/1	0.020
356	0.103
357	0.036
358	0.022
359	0.014
360 361/1	0.024
361/2	0.085
363	0.076
364	0.097
367	0.070
368/1	0.048
370 371 372	0.006
योग	1.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-''टर्नकी'' बरदुली वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 नवम्बर 2002

क्रमांक 733/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
92/1-2	0.370
89	0.165
88	0.032
94	0.173
95	0.080
96/1-2	0.008
87	0.170
83/2	0.045
84, 85	0.089
81, 82	0.089
86	0.032
63/4	0.129
64	0.040
65	0.048
79	0.246
80	0.160
77	0.068
98	0.008
75, 76	0.080
78	0.004
67	0.202
66	0.150
68	0.330
57/2	0.032
300/1	0.028
308	0.186
307/1-2	0.117
305	0.085
306	0.085
304	0.140
69/1-2	0.120
106/7	0.182
302	0.790
315	0.004
313	0.028
365/2	0.028
372	0.145
370	0.025
371	0.129
374	0.097
375	0.218
377	0.050
376	0.100
373	0.190
382	0.028
445	0.545
383	0.080
344	0.036
442	0.030
446	0.110
447	0.040
448	0.093
433	0.297
450, 451	0.150
318	0.726
319/2	0.140
320/1	0.186
301/3-4	0.280
321	0.311
326	0.352
328	0.080
327	0.072
358	0.016
359	0.170
360	0.278
361	0.052
362	0.120
363	0.133
426	0.040
434, 435	0.129

(1)	(2)
436	0.020
328/1	0.050
429	0.160
430	0.124
431/1	0.040
431/2	0.040
432	0.032
423	0.008
424	0.133
425	0.149
426	0.460
427/5	0.012
427/8	0.245
427/9	0.080
405	0.149
406/1	0.030
407	0.075
408	0.030
404	0.157
403	0.178
402	0.230
398/2	0.340
398/1	0.130
400/1-2	0.070
399	0.035
योग	12.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 नवम्बर 2002

क्रमांक 734/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैंजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-मलनी, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
278	0.004
277	0.024
276	0.008
281	0.045
283	
282	0.008
284	0.020
272	0.004
273	0.004
285	0.049
286	0.085
287	
294	
266	0.008
297	0.028
298	
295	0.045
445	
442	0.032
440	0.012
441	
439	0.037
438	0.052
362	0.020
377	0.020
376	0.040
365	0.040
375	
373	0.024
382	0.008
370	0.048

(1)	(2)
369	0.016
योग	0.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक 924/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-छोटे सीपत, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.204 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.101
1/4, 5, 6	0.105
8	0.235
9	0.020
7	0.182
11	0.324
13	0.240
15	0.008
59 | 60	0.410
78	0.400
79	0.020
210	0.190
211	0.062
209	0.283
208	0.260
200	0.070
199	0.165
195	0.016
198	0.085
197	0.202
181	0.032
182	0.150
173	0.070
170	0.219
162	0.470
161	0.145
140	0.240
145/1	0.210
145/2	0.135
146	0.101
147	0.020
779/3	1.034
योग 32	6.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक क./ख. लि./2002.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत खनिज के लिये सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आबंटन के लिये उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने पश्चात व आवेदित खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	प. ह. नं. (3)	तहसील (4)	खसरा नंबर (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	बासीन	7	राजिम	1177	0-14 एकड़	श्री छत्रू लाल चन्द्राकर आ. श्री राधेलाल चन्द्राकर निवासी बनचरौद के नाम पर स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनि पट्टा लीज अवधि समाप्त होने के कारण.
2.	खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/1 क 5 टु.	3-00 एकड़	श्री शिवकुमार केशरवानी आ. श्री भैरवलाल केशरवानी निवासी शिवरीनारायण के नाम पर स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनि पट्टा लीज अवधि समाप्त होने के कारण.
3.	तुरमा	23	भाटापारा	63/3, 67/1 निजी भूमि	4-00 एकड़	श्री गोवर्धन दास आ. श्री नेभन दास जसवानी निवासी भाटापारा के नाम पर स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनि पट्टा लीज अवधि समाप्त होने के कारण.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्रमांक क./ख. लि./2002.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के अंतर्गत चूनापत्थर मुख्य खनिज के लिए सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आबंटन के लिए खंनिजपट्टा आवेदन हेतु उपलब्ध रहेगा.

क्रमांक	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लालपुर	95	रायपुर	260/2, 264/2, 261	10.97 हेक्टेयर	सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया की भूमिस्वामी हक की भूमि ख. नं.260/2, 264/2 है,तथा ख. नं.261 शासकीय भूमि है. सी. सी. आई. मांढर की भूमि स्वामी हक की भूमि का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा.

जे. मिंज,
अपर कलेक्टर.